

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 06.06.2019 एवं 07.06.2019 को उत्तरकाशी में जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष में सामान्य भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में उत्तरकाशी जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा उत्तरकाशी जिले के समस्त सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को आमंत्रित किया जाता है ताकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य भविष्य निधि से संबंधित अधिसूचनाओं एवं नियमों से उन्हें अवगत कराया जा सके। इसके अतिरिक्त इस अदालत में उत्तरकाशी के सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रकरणों के समय से निपटान करने में आने वाली समस्याओं के समाधान तथा अभिदाताओं की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी।